



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072021-228245  
CG-DL-E-12072021-228245

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389]  
No. 389]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2021/आषाढ़ 21, 1943  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2021/ASHADHA 21, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2021

सं. 35/2021—सीमाशुल्क

सा.का.नि. 487(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्षक, उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती हों, को, जब भारत में उनका आयात किया गया हो, उन पर उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान करती है, बशर्ते कि इस अधिसूचना के अनुबंध में दी गई शर्तें पूरी होती हों, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	अध्याय या शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2923 20 90	डीएमपीसी (1,2-डिमिरिस्टॉयल-एसएन-ग्लिसरो-3-फॉस्फोकोलाइन)।
2.	2923 20 90	डीएमपीजी (1,2-डिमिरिस्टॉयल-एसएन-ग्लिसरो-3-फॉस्फो-रैक-ग्लिसरॉल, सोडियम नमक)।

3.	2923 20 90	एचएसपीसी (सोयाबीन से हाइड्रोजनीकृत फॉस्फेटिडिलकोलाइन)।
4.	2923 20 90	डीएसपीजी (1,2-डिस्टिरॉयल-एसएन-ग्लिसरो-3-फॉस्फो-रैक-ग्लिसरॉल, सोडियम नमक)।
5.	2923 20 90	एग लेसिथिन।
6.	2906 13 10	कोलेस्ट्रॉल एच.पी. ।
7.	कोई भी अध्याय	कोविड परीक्षण किट के निर्माण के लिए कच्चा माल।

बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात -

- (क) उक्त सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के समक्ष उल्लिखित वस्तुओं पर 31 अगस्त, 2021 के बाद लागू नहीं होगी;
- (ख) उक्त सारणी के क्रम संख्या 7 के समक्ष उल्लिखित वस्तु पर दिनांक 30 सितंबर, 2021 के बाद लागू नहीं होगी ।

#### अनुबंध

शर्त संख्या	शर्त
1.	बशर्ते कि आयातकर्ता सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता हो ।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/28/2021-टीओ(टीआरयू-1)-सीबीईसी]

गौरव सिंह, उप सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2021

#### No. 35/2021—Customs

**G.S.R. 487(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in column (2) of the said Table, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule, subject to the conditions specified in the Annexure to this notification, namely:-

**TABLE**

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	2923 20 90	DMPC (1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine).
2.	2923 20 90	DMPG (1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-glycerol,sodium salt).
3.	2923 20 90	HSPC (Hydrogenated phosphatidylcholine from soybean).
4.	2923 20 90	DSPG (1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-glycerol,sodium salt).
5.	2923 20 90	Egg Lecithin.

6.	2906 13 10	Cholesterol HP.
7.	Any Chapter	Raw materials for manufacturing COVID test kits.

Provided that nothing contained in this notification shall apply to –

- (a) the goods specified against serial numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of the said Table after the 31<sup>st</sup> day of August, 2021;
- (b) the goods specified against serial number 7 of the said Table after the 30<sup>th</sup> day of September, 2021.

**ANNEXURE**

<b>Condition No.</b>	<b>Condition</b>
1.	If the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.

[F. No. CBIC-190354/28/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.